FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0157 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/06/2026 14:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 08/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 10/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:32 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/06/2026 **Time (समय):** 12:01 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/06/2026 14:25:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KARAYALAY UP TEHSILDAR, JEEVANA, THEHSIL SAYLA, JILA JALOR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** TANESINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** JUJAR SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	SAGANA, SAYLA, SAYLA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	SAGANA, SAYLA, SAYLA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BANTI MEENA		पिता:JAINARAYAN MEENA	1. RUDHPURA,MANSALPUR,KAR

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर विषय – रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, सविनय निवेदन है कि मै प्रार्थी तने सिंह पुत्र श्री जुंजार सिंह उम्र 36 साल निवासी सांगाणा पुलिस थाना सायला जिला जालोर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी श्री जुंजार सिंह ने अपने कृषि भूमि खाता संख्या 410 खसरा नम्बर 17 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि मे से 0.19 हैक्टर भूमि जरिए बख्शिश मेरी पत्नि पूनम कवंर के नाम से रजिस्ट्री दिनांक 13.05.2026 एवं खाता संख्या 589 खसरा नंबर 143 कुल रकबा 0.27 हैक्टर सम्पूर्ण, खाता संख्या 410 खसरा नंबर 17 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि मेसे 2.16 हैक्टर, खसरा नंबर 18 रकबा 0.01 हैक्टर संपूर्ण, खसरा नंबर 19 रकबा 0.10 हैक्टर संपूर्ण, खाता संख्या 229 खसरा नंबर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 कुल खसरा 7 कुल रकबा 12.97 हैक्टर भूमि में से मेरे पिताजी के हिस्से की संपूर्ण ½ हिस्सा भूमि तथा खाता सं. 588 खसरा नंबर 20 कुल रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में से मेरे पिताजी के हिस्से की संपूर्ण 171/370वां हिस्सा भूमि जरिए बख्शीसनामा मेरी माताजी श्रीमति पसम कंवर के नाम रजिस्ट्री दिनांक 14.05.2026 को पंजीयक एवं उप तहसीलदार कार्यालय जीवाणा में करवाई थी। उक्त दोनो रजिस्ट्रीयों का म्यूटेशन भरवाने के लिये मैं दिनांक 21.05.2026 को मेरे गांव सांगाणा के पटवार हल्का पटवारी श्री बन्टी मीणा से पंचायत समिति जीवाणा में बने पटवारी के कमरे में मिला व मेरा प्रार्थना पत्र व दोनो रजिस्ट्रीयों की प्रतियां पटवारी को दे दी है। लेकिन पटवारी श्री बन्टी मीणा म्यूटेशन भरने की एवज में 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै मेरे जायज काम के लिये श्री बन्टी मीणा पटवारी जी को रिश्वत नही देना चाहता हूं, मै पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरी पटवारी श्री बंटी मीणा से कोई पूरानी रंजिश नही है तथा ना ही हमारे दोनो के मध्य कोई लेने देन बकाया है। अतः रिपोर्ट पेश करता हूँ, कानूनी कार्यवाही करें। प्रार्थी एसडी तने सिंह पुत्र श्री जुंजार सिंह उम्र 36 साल निवासी सांगाणा तहसील सायला, जिला जालोर, मों.- कार्यावाही पुलिस दिनांक 08.06.2026 समय- 11.15 ए.एम.पर परिवादी श्री तने सिंह पुत्र श्री जुंजार सिंह उम्र 36 साल निवासी सांगाणा पुलिस थाना सायला जिला जालोर मोबाईल नंबर ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालौर में उपस्थित होकर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्त-लिखित रिपोर्ट उपरोक्त आश्य की पेश कि एवं दरियाफ्त पर परिवादी श्री तनेसिंह ने उक्त रिपोर्ट स्वयं के हस्त-लिपी में लिखी होना रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा रिपोर्ट में लिखे समस्त तथ्य सही होना बताया व रिपोर्ट के साथ स्वयं के आधार कार्ड की स्व.प्रमाणित फोटो प्रति एवं स्वयं की पत्नि श्रीमति पुनम कंवर के नाम बख्शीस की गई भूमि की रजिस्ट्री की स्वःप्रमाणित प्रतियां पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय दस्तावेजात व दरियाफ्त से प्रथम दृष्टया मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) की परिधि में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। दर्ज रहे की परिवादी श्री तनेसिंह द्वारा दिनांक 03.06.2026 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज.जयपुर के हेल्पलाईन नंबर 1064 पर उपरोक्त शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ब्यूरो मुख्यालय द्वारा मन् एएसपी के मोबाईल नंबर 9413377107 परिवादी श्री तनेसिंह को अग्रीम कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवाये गये थे तथा ब्यूरो मुख्यालय द्वारा उक्त शिकायत के संबंध में कार्यवाही करने हेतु मन् एएसपी को वाट्सअप पर मैसेज कर अवगत करवाया गया था। ब्यूरो मुख्यालय हेल्पलाईन नंबर 1064 पर की गई शिकायत के परिपेक्ष्य में परिवादी श्री तनेसिंह ने दिनांक 03.06.2026 को वक्त 12.33 पी.एम. पर मन् एएसपी को कॉल कर वार्ता की जिस पर मन् एएसपी ने परिवादी को कार्यालय हाजा में अग्रीम कार्यवाही हेतु उपस्थित आने व रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तो परिवादी ने बताया की अभी मैं मेरे आवश्यक घरेलु कार्य में व्यस्त होने से एसीबी जालोर आने में असमर्थ हूँ, मैं मेरे कार्य से निवृत होकर आपसे संपर्क कर कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रीम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था। दिनांक 08.06.2026 को समय- 12.15 पी.एम.पर मन् मांगीलाल राठौड़ एएसपी ने कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 को कार्यालय कक्ष में तलब कर उपस्थित परिवादी श्री तनेसिंह से परस्पर परिचय करवाया जाकर दोनो के मोबाईल नंबरों का आदान-प्रदान करवाया गया। कार्यालय कक्ष में रखी अलमारी से डिजीटल वॉयस रिकार्डर निकालकर उसमे एक नया मैमोरी कार्ड लगाकर ऑन कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर उपस्थित परिवादी श्री तनेसिंह व श्री बबन मिश्रा कानि. 110 को डिजीटल वॉयस रिकार्डर को चलाने व चालू-बन्द करने की भली भाँति समझाईस की गई। श्री बबन मिश्रा कानि. 110 को आवश्यक हिदायत की गई की परिवादी श्री तनेसिंह के साथ

जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में संदिग्ध अधिकारी से रिश्वती राशि बाबत् वार्ता करवाकर वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड कर लाने एवं रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु समझाईस की गई। उपस्थित परिवादी ने बताया की आज मेरे आवश्यक कार्य होने से व्यस्त हूँ कल दिनांक 09.06.2026 को श्री बबन मिश्रा कानि. को ग्राम जीवाणा में भेजना, संदिग्ध श्री बन्टी मीणा पटवारीजी से संपर्क कर मै रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड करवा दूंगा। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के स्वीच-ऑफ कर मन् एएसपी ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री तनेसिंह को रुकस्त किया गया। तत्पश्चात दिनांक 09.06.2026 को समय- 08.30 ए.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ एएसपी ने कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 को कार्यालय कक्ष में तलब कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के स्वीच-ऑफ हालात में श्री बबन मिश्रा कानि. 110 को सुपुर्द कर ग्राम जीवाणा पहूंच परिवादी श्री तनेसिंह से संपूर्क कर रिश्वती राशी मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत दी जाकर ग्राम जीवाणा की तरफ रवाना किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीगर राजकार्य में व्यस्त हुआ। ताबाद समय- 07.30 पी.एम. पर श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 कार्यालय हाजा में मन् एएसपी के समक्ष उपस्थित आया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा स्वीच-ऑफ हालात में प्रस्तुत कर बताया की श्रीमान के निर्देशानुसार कार्यालय हाजा से रवाना होकर ग्राम जीवाणा पहूंच परिवादी श्री तनेसिंह से जरिए वाट्सअप कॉल संपर्क किया गया तो परिवादी ने बताया की अभी मैं मेरे गांव सांगाणा हूँ, मैने मेरे स्तर पर मालूमात किया तो ज्ञात हुआ की श्री बन्टी मीणा पटवारी जी आज उप तहसील कार्यालय जीवाणा में ही रहेगें इसलिए मैं मेरी गांव से जीवाणा आ रहा हूँ आप वहीं मेरा इंतजार करें। जिस पर मन् कानि. ने वहीं मुकिम रहते हुए परिवादी के उपस्थित आने के इंतजार में व्यस्त रहा। समय करीबन 01.15 पी.एम. पर परिवादी श्री तनेसिंह मन् कानि. के पास जीवाणा में उपस्थित आया, जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर मन् कानि. ने समय करीबन 01.30 पी.एम. पर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के स्वीच ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी श्री बन्टी मीणा पटवारी जी से संपर्क कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाकर वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड कर लाने हेतु परिवादी श्री तनेसिंह को उप तहसील कार्यालय जीवाणा की तरफ रवाना किया गया, मन् कानि. वहीं आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने के इंतजार में व्यस्त रहा। तत्पश्चात करीबन 10 मिनट बाद परिवादी मन् कानि. के पास उपस्थित आया जिस पर मन् कानि. ने सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे लिया। परिवादी ने बताया की निर्देशानुसार मैं उप तहसील कार्यालय जीवाणा में पहूंचा जहां श्री बन्टी मीणा पटवारीजी एक कमरे में उपस्थित मिले, जिनसे मैने मेरी धर्मपत्नि व मेरी माताजी के नाम रजिस्ट्री सुदा कृषि भूमि का म्यूटेशन भरने हेतु निवेदन किया तो पटवारीजी ने कुछ देर वार्ता कर मुझे शाम को समय करीब 4-5 बजे के आस-पास उप तहसील कार्यालय में आकर मिलने हेतु कहा। जिस पर मन् कानि. व परिवादी श्री तनेसिंह वहां से रवाना होकर हाईवे पर स्थित एक ढाबे पर संदिग्ध अधिकारी के बताये समय के इंतजार में व्यस्त रहे। तत्पश्चात समय करीबन 04.50 पी.एम. पर परिवादी श्री तनेसिंह ने जरिए मोबाईल संदिग्ध अधिकारी से संपर्क किया तो संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी को उप तहसील कार्यालय में आकर मिलने हेतु कहा जिस पर मन् कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के स्वीच-ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी से वार्ता कर वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु उप तहसील कार्यालय जीवाणा की तरफ रवाना किया तथा मन् कानि. अपनी पहचान छुपाते हुए वहीं आस-पास परिवादी के पुनः आने के इंतजार में व्यस्त रहा। तत्पश्चात करीबन 15 मिनट बाद परिवादी मन् कानि. के पास पूर्व निर्धारित स्थान पर उपस्थित आया व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के मन् कानि. को सुपुर्द किया जो मन् कानि. ने स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे में सुरक्षित रखा। परिवादी ने मन् कानि. को बताया की निर्देशानुसार मैं आपके पास से रवाना होकर उप तहसील कार्यालय जीवाणा में पहूंचा जहां श्री बन्टी मीणा पटवारीजी एक कमरे में मुझे मिले, जिनसे मैने मेरी पत्नि व मेरी माताजी के नाम रजिस्ट्री सुदा कृषि भूमि का म्यूटेशन भरने हेतु बातचीत की तो पटवारीजी ने म्यूटेशन भरने की एवज में मेरे से 6,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग कर लेना तय किया एवं रिश्वत राशि उस समय देने हेतु कहा जिस पर मैने मेरे पास से श्री बन्टी मीणा पटवारीजी द्वारा तय की गई राशि मेसे 2,000/- रुपये एडवांस दिए तथा शेष रिश्वत राशि आईन्दा देने का कहा। तत्पश्चात श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादी श्री तनेसिंह को कल दिनांक 10.06.2026 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि साथ लेकर कार्यालय हाजा में उपस्थित आने की हिदायत दी जाकर परिवादी को वहीं जीवाणा में रुकस्त कर मन् कानि. रवाना होकर उपस्थित कार्यालय आया। जिस पर मन् एएसपी ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर उसमे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को रिवर्स कर सुना को श्री बबन मिश्रा कानि. द्वारा बताये अनुसार उपरोक्त वार्ता रिकार्डर होना एवं संदिग्ध अधिकारी श्री बन्टी मीणा पटवारीजी द्वारा परिवादी से उसके जायज कार्य के बदले रिश्वत राशि की मांग करना तथा 2,000/- रुपये मांग सत्यापन के दौरान प्राप्त करने की पुष्टी होना पाया गया। मन् एएसपी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वीच-ऑफ कर स्वयं के पास सुरक्षित रखा। दिनांक 10.06.2026 को परिवादी के उपस्थित आने एवं स्वतंत्र गवाहान की तलब कर अग्रीम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात दिनांक- 10.06.2026 को समय- 09.30 ए.एम.पर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र

गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय पत्रांक 687 दिनांक 10.06.2026 के द्वारा जिला उघोग अधिकारी जालोर के नाम तहरीर मूर्तिब कर दो स्वतंत्र गवाह पाबंद कर लाने हेतु तहरीर श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 को सुपुर्द कर रवाना किया था जो मय दो स्वतंत्र गवाह श्री जवानाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला उघोग अधिकारी के उपस्थित आया । जिस पर उपस्थित दोनो गवाहान को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत की गई तथा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रीम कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया । समय- 11.10 ए.एम. पर पूर्व पाबंद सुदा परिवादी श्री तनेसिंह पुत्र श्री जुंजारसिंह जाति राजपूत निवासी सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर कार्यालय हाजा में मन् एएसपी के समक्ष उपस्थित आया । जिस पर परिवादी के समक्ष मन् एएसपी द्वारा उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को अपना व परिवादी का परिचय देकर उनका परिचय पुछा तो दोनो स्वतंत्र गवाहान ने अपना परिचय क्रमशः श्री जवानाराम पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति मेघवाल उम्र 27 साल निवासी गोयली पुलिस थाना कोतवाली सिरोही जिला सिरोही हाल , जिला जालोर , हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र जालोर, जिला जालोर, मोबाईल नंबर एवं श्री अशोक कुमार पुत्र श्री शिवलाल जाति माली उम्र 30 साल निवासी आईटीआई कॉलेज के पास, ओमकार कॉलोनी जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर, जिला जालोर,हाल वरिष्ठ सहायक जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र जालोर, जिला जालोर, मोबाईल नंबर के रुप में दिया । तत्पश्चात उपस्थित दोनो गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए उपस्थित परिवादी श्री तनेसिंह से उपरोक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 08.06.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा पढाया गया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड जो स्वीच-ऑफ हालात मे मन् एएसपी के पास सुरक्षित रखे हुए को ऑन कर उसमे दिनांक 09.06.2026 को परिवादी व संदिग्ध अधिकारी श्री बन्टी मीणा पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व वार्ता एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन संबंधित वार्ताओं को पृथक-पृथक रिवर्स कर वार्ताओं के मुख्याशं दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाये गये जो निम्नानुसार है- आरोपी " आ जा मैं यहीं हूं, शाम तक हां" परिवादी- तो मैं शाम को ही आऊं ", आरोपी हां मैं शाम को खुद बुलाऊंगा । आरोपी-" मैं छः सात तो दो यार, परिवादी- छः सात, " आरोपी सात तो करो यार ", परिवादी- सात तो बहुत ज्यादा है ", आरोपी- छः की तो आपने ही बोला था उस टाईम यार, ज्यादा नहीं है सर ", परिवादी- ये तो, " तीन तीन हजार रुपये तो देते है, पैतीस सौ पैंतीसौ वहां से वैरिफाई करवाना ऑफिस से । परिवादी- " तो फिर कितना दूं आपको, " आरोपी- आपको कोई, आपके उपर है ", परिवादी- कितना बोलो आप ", आरोपी- आपकी इच्छा नहीं है, मैं तो सात कह दी ने आपकी इच्छा वो बता दो ", परिवादी- नहीं आप बोल दो कितना मैं देता हूं बस, आरोपी- " सात आपसे ज्यादा नहीं मांगे, सात दे दो, छः तो दो, छः तो कर के दो यार, पांच तो आपने भी कहा था, दो म्यूटेशन है ", परिवादी- पांच, पांच मैने बोला था ", आरोपी- " छः छः ", परिवादी- पहले आप ने दस बोला था ", आरोपी- हां दस बोला था । परिवादी नितर फिर बाद में, पहले बात, तो आपने बोला पांच, आपने पांच बोला था ", आरोपी- " वो बात सही है, तीन तीन हजार रुपये देते है, कागज है चार हजार रुपये उप ऑफिस में देने है ऐसे । परिवादी- मैं तो इतना लेके नहीं आया हूं तो नहीं तो शाम को लेके आ जाता हूं, तो अभी ऐसा करो आप ये दो हजार रुपये रख लो ",। आरोपी- दो हजार नहीं यार पांच तो फिर, परिवादी- दो तो रख लो, फिर बाद में, कल देता हूं सुबह या तो ये दो है गिन लो आप, आरोपी- गिन लिये वो तो, आप ने गिन लिये ऐसे तो कैसे काम होगा यार ", इत्यादि वार्ताए रिकॉर्ड होना पाई गई जिस पर दोनो गवाहान ने रिकार्ड सुदा वार्ताओं मे रिश्वती राशि मांग की पुष्टी होना बताया । ताबाद दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से विस्तृत पुछताछ कर तसल्ली कर उक्त कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक स्वीकृति देते हुए दोनो गवाहान ने परिवादी की रिपोर्ट पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किए तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मन् एएसपी ने स्वयं के पास सुरक्षित रखा, रिकॉर्ड वार्ताओं की आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया जाकर समयः- 12.15 पी.एम.पर मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी तनेसिंह को आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने पाँच सौ-पाँच सौ रुपये भारतीय प्रचलित मुद्रा के 08 नोट कुल राशि 4,000/- रुपये अपनी जेब से निकाल कर पेश किये जिनके नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित करवाये जाकर कार्यालय हाजा के श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप-निरीक्षक मालखाना प्रभारी को निर्देशित कर मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को सुपुर्द करवाई गई। तत्पश्चात उपरोक्त पाँच सौ-पाँच सौ रुपये के सभी नोटों को पुराने अखबार पर रखवाये जाकर श्री भरतसिंह चालक कानि. 501से उपरोक्त प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीनपाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री तने सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री जवानाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लिरवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक राशी, वस्तु/ दस्तावेज इत्यादी नहीं रहने दिए गए तथा परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया । तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत में दी जाने वाली राशी 4,000/- रूपये परिवादी श्री तने सिंह के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की बाई जेब में रखवाए जाकर हिदायत दी गई कि रिश्वत में दी जाने वाली राशी को रास्ते में हाथ नहीं लगाए एवं छुए नहीं तथा आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी द्वारा मांगने पर ही उसे अपनी पेन्ट की जेब से निकाल कर देवे, राशि देने से पूर्व व पश्चात आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। अभिवादन की आवश्यकता होने पर दूर से ही हाथ

जोड़कर नमस्कार/अभिवादन करें, साथ ही परिवादी श्री तने सिंह को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री बन्टी मीना पटवारी द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्राप्त करने के बाद वह इस राशि को कहां रखता हैं अथवा छुपाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उक्त राशि आरोपी श्री बन्टी मीना पटवारी के प्राप्त करने के पश्चात ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर आगे से पीछे की तरफ दो तीन बार हाथ फेर कर या मन् मांगीलाल राठौड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल या मिस कॉल कर या ट्रेप दल के अन्य सदस्यों को देखते हुए गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात कार्यालय हाजा से एक प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाया गया, जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठो को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गहरा गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। तत्पश्चात गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास को तोड़कर नष्ट करवाया गया तथा उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया, जिस पर नोटों को रखकर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था। श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी पुन मालखाना में रखवाई जाकर मालखान को बंद कर ताला लगवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के दोनों हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली समस्त सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो बार धुलवाया जाकर पुनः ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया, तत्पश्चात परिवादी के अलावा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपतिजनक वस्तु/दस्तावेज एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन-देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री भरतसिंह चालक कानि. 501 को उक्त कार्यवाही में गोपनीयता बरतने की हिदायत कर कार्यालय हाजा की निगरानी हेतु पिछे छोड़ा गया। उपरोक्त कार्यवाही की कार्यालय हाजा के सरकारी विडियो कैमरे में एक नया मैमोरी कार्ड डलवाकर श्री बबन मिश्रा कानि 110 से विडियोग्राफी करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय प्रचलित मुद्रा के नोट तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री तनेसिंह ने अपने स्तर पर मालूमात कर बताया की आज के रोज आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी उप तहसील कार्यालय जीवाणा में उपस्थित है जो मेरे से वहीं पर रिश्वत राशि का लेन-देन करेगा। जिस पर समयः- 01.00 पी.एम. पर मन् एएसपी ने ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में एक नया मैमोरी कार्ड इन्ट्राल कर सुपुर्द कर परिवादी श्री तनेसिंह के हमरा मय श्री कालूराम कानि. नं. 477, श्री करणीदान कानि. नं. 236 के जरिए श्री कालूराम कानि. के निजी वाहन से रवाना कर श्री रविन्द्र कुमार स.उ.नि. को आवश्यक हिदायत की गई की उप तहसील कार्यालय जीवाणा के नजदीक पहूंच मन् एएसपी से संपर्क कर परिवादी को रिश्वत राशि लेन-देन हेतु डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्वीच-ऑन कर परिवादी को सुपुर्द कर रवाना करें। तत्पश्चात इनके पिछे-पिछे श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93 मय श्री सुरेन्द्र कुमार कानि. 232, श्री बबन मिश्रा कानि. 110 मय सरकारी विडियो कैमरा मय इन्ट्राल सुदा मैमोरी कार्ड के श्री मोहनलाल हैड.कानि. के निजी वाहन से तथा मन् मांगीलाल राठौड़ एएसपी मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार एवं आदूराम कानि. 142 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर, आवश्यक सामग्री के जरिए निजी वाहन से जीवाणा की तरफ रवाना होकर समयः- 02.15 पी.एम.पर मन् एएसपी मय दोनो स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता मय उपरोक्त हमरायान के उप तहसील कार्यालय जीवाणा के सामने हाईवे पर पहूंचे जहां समस्त जाब्ता को वाहनों सहित अलग-अलग स्थानों पर रुकने हेतु हिदायत की गई तथा श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक को आवश्यक हिदायत की गई की परिवादी श्री तनेसिंह को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के चालू कर सुपुर्द कर आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी से रिश्वत राशि लेन-देने हेतु उप तहसील कार्यालय जीवाणा की तरफ रवाना करें तथा श्री बबन मिश्रा कानि. 110 को दौराने ट्रेप कार्यवाही सरकारी विडियो कैमरा से विडियोग्राफी करने की आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात समस्त ट्रेप पार्टी मय स्वतंत्र गवाहान को उप तहसील कार्यालय जीवाणा के नजदीक आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुए गोपनीय रुप से मुकिम रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में व्यस्त रहने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात दिनांक 10.06.2026 को समयः- 02.32 पी.एम.पर परिवादी श्री तनेसिंह पुत्र श्री जुंजार सिंह जाति राजपूत उम्र 36 साल निवासी सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर ने रिश्वती राशि लेन-देन के पश्चात जालोर-सिणधरी रोड़ पर स्थित उप तहसील कार्यालय जीवाणा के कार्यालय भवन के उत्तर दिशा की तरफ चेनल गेट से बाहर आकर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो-तीन बार आगे से पिछे की तरफ हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को देखते हुए किया। जिसे पर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक मय आस-पास मुकिम ट्रेपदल के सदस्यगण ने देखा। तत्पश्चात मन् एएसपी मय स्वतंत्र गवाहान, ट्रेपदल के तुरन्त ही हरकत मे आते हुए मन् एएसपी ने समस्त ट्रेपदल मय स्वतंत्र गवाहान को हमरा लेकर रवाना होकर उप तहसील कार्यालय के चेनल गेट पर खडे परिवादी श्री तनेसिंह के पास पहूंचा तथा परिवादी को पूर्व मे सुपुर्द सुदा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी से मन् एएसपी ने प्राप्त कर स्वीच-ऑफ कर स्वयं के कब्जे मे रखा। उपस्थित परिवादी ने बताया की उप तहसील कार्यालय भवन के एक कमरे मे बैठे श्री बन्टी मीणा पटवारीजी ने मेरे से मेरी धर्मपत्नि श्रीमति पुनम कंवर व मेरी माताजी श्रीमति पसम कंवर के नाम रजिस्ट्री सुदा कृषि भूमि का म्यूटेशन भरने की एवज मे बातचीत करते हुए पूर्व मे तय सुदा मेसे 4,000/- रुपये रिश्वत राशि मेरे से मांग कर प्राप्त की है, श्री बन्टी मीणा पटवारीजी ने उक्त रिश्वत राशि मेरे से प्राप्त कर टेबल पर रखे बैग के अन्दर रखी है जो अभी भी वहीं पडी है तथा पटवारीजी टेबल के पास कुर्सी पर बैठे है। जिस पर मन् मांगीलाल राठौड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार एवं समस्त ट्रेप दल के सदस्यगण तथा परिवादी श्री तनेसिंह को हमरा लेकर परिवादी के बताये अनुसार जहां पटवारी श्री बन्टी मीणा बैठे थे उस कक्ष के आगे पहूंचे। तत्पश्चात मन् एएसपी ने हमरा ट्रेप दल सदस्य श्री बबन मिश्रा कानि. नं. 110 को पूर्व मे सुपुर्द सुदा राजकीय विडियो कैमरा मय इन्टाल सुदा मैमोरी कार्ड के ऑन करवाकर उक्त कार्यवाही मे विडियोग्राफी करने की आवश्यक हिदायत दी गई। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री तनेसिंह ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेपदल के उप तहसील कार्यालय भवन जीवाणा मे स्थित संस्थापन शाखा कक्ष मे सामने कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की यह ही श्री बन्टी मीणा पटवारीजी है जिन्होने अभी-अभी कुछ समय पहले मेरे से 4,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। जिस पर मन् एएसपी ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेपदल एवं परिवादी के उक्त भवन मे स्थित संस्थापन शाखा कक्ष मे प्रवेश हुए जहां सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वयं तथा ट्रेपदल मय स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी का परिचय देकर उक्त व्यक्ति का परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री बन्टी मीणा पुत्र श्री जयनारायण मीणा उम्र 25 साल, निवासी गांव/पोस्ट रुँधपुरा तहसील व पुलिस थाना मासलपुर, जिला करौली मोबाईल नंबर व होना तथा वर्तमान मे पटवारी के पद पर तहसील कार्यालय सायला की एलआरसी शाखा मे पदस्थापित होना एवं पटवार मण्डल सांगाणा का अतिरिक्त चार्ज स्वयं के पास होना बताया। श्री बन्टी मीणा पटवारी ने आज के रोज उप तहसील कार्यालय जीवाणा मे राजस्व संबंधित कार्य होने से आना तथा पटवार हल्का सांगाणा उप तहसील जीवाणा क्षैत्राधिकार मे होने से सप्ताह मे दो-तीन दिन उक्त उप तहसील कार्यालय मे राजकीय कार्य से आते रहना बताया। तत्पश्चात मन् एएसपी ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान, ट्रेपदल एवं परिवादी की उपस्थिति मे श्री बन्टी मीणा पटवारी को अभी कुछ देर पहले परिवादी श्री तनेसिंह से प्राप्त की गई रिश्वती राशि 4,000/- रुपये के बारे मे पुछा गया तो श्री बन्टी मीणा पटवारी ने परिवादी श्री तनेसिंह से प्राप्त रिश्वती राशि 4,000/- रुपये प्राप्त कर टेबल पर रखे स्वयं के काले रंग के बैग मे रखे होना बताया तथा घबराते हुए निरुत्तर हो गया। जिस पर श्री बन्टी मीणा पटवारी को यथास्थिति मे ही कुर्सी पर बैठे रहने की हिदायत देकर आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए हमरा साथ लाए ट्रेप बॉक्स मेसे दो प्लास्टिक की पारदर्शी साफ गिलास निकलवाये जाकर एक गिलास मे पीने का साफ पानी भरवाया जाकर उक्त गिलास मे एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल का रंग रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात उक्त तैयार घोल मे आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के दाहिने हाथ की अंगूलियों एवं अंगूठे को उक्त रंगहीन घोल मे डबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया, जिस पर उक्त धोवन को उपस्थितगण को दिखाया गया तो उपस्थितगण ने धोवन का रंग मटमेला होना बताया। आरोपी के दाहिने हाथ के उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर चेपों पर मार्क आर.एच.1 व आर.एच.2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी साफ गिलास मे साफ पीने का पानी भरवाया जाकर उक्त गिलास मे एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने उक्त घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त तैयार घोल मे आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के बांये हाथ की अंगूलियों एवं अंगूठे को उक्त रंगहीन घोल मे डबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग परिवर्तित होकर मटमेला हो गया, जिस पर उक्त धोवन को उपस्थितगण को दिखाया गया तो उपस्थितगण ने धोवन का रंग मटमेला होना बताया। आरोपी के बांये हाथ के उक्त धोवन को कांच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर चेपों पर मार्क एल.एच.1 व एल.एच.2 अंकित किया गया। ताबाद स्वतंत्र गवाह श्री जवानाराम सहायक प्रशासनिक अधिकारी से आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी की जामा तलाशी लिरवाई गई तो आरोपी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु/दस्तावेज नहीं पाये गये, आरोपी का मोबाईल उसके पास पाया गया जो उसके पास ही रहने दिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री जवानाराम से आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के टेबल पर रखे काले रंग के बैग की तलाशी लिवाई गई तो उक्त बैग मे रखे राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेजों के उपर 500-500 रुपये भारतीय मुद्रा की राशि रखी हुई पाई गई, जिसे उक्त गवाह से निकलवाई जाकर राशि गिनवाई गई तो पांच सौ पांच सौ रुपये के 08 नोट कुल राशि 4,000/- रुपये होना पाया गया। जिस पर आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी से उक्त राशि के बारे

मे पुछा गया तो श्री बन्टी मीणा पटवारी ने उक्त राशि परिवादी श्री तनेसिंह से कुछ समय पहले प्राप्त कर स्वयं के उक्त बैग मे रखना बताया। जिस पर उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार को पूर्व मे तैयार सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त बरामदा नोट दूसरे स्वतंत्र गवाह श्री जवानाराम को सुपुर्द करवाकर नोटों के नंबरों का बारी-बारी मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदा राशि के नोटों के नंबर फर्द पेशकशी मे अंकित नोटों के नंबरो से हुबहु मिलान होना पाये गये जिनके नंबर निम्नानुसार है- 01- पांच सौ रुपये का एक नोट नंबर 8 FD 101778, 02-पांच सौ रुपये का एक नोट नंबर 3 NF 142060, 03-पांच सौ रुपये का एक नोट नंबर 1 TC 689934, 04-पांच सौ रुपये का एक नोट नंबर 5 CE 801290, 05- पांच सौ रुपये का एक नोट नंबर 7 QA 351178, 06- पांच सौ रुपये का एक नोट नंबर 2 MB 267798, 07- पांच सौ रुपये का एक नोट नंबर 5 PE 347910, 08-पांच सौ रुपये का एक नोट नंबर 7 UM 747255 उपरोक्त बरामदा रिश्वत राशि 4,000/- रुपये (अक्षरे चार हजार रुपये) को कागज के एक सफेद लिफाफे मे डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे डालकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सील मोहर कर मार्क M अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदा स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से हमरा ट्रेप बॉक्स मेसे एक प्लास्टिक की पारदर्शी साफ गिलास निकलवाई जाकर उक्त गिलास मे पीने का साफ पानी भरवाया जाकर उक्त गिलास मे एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया जिसे उपस्थितगण ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। तत्पश्चात ट्रेपबॉक्स मेसे कपडे की सफेद साफ चिन्दी निकालकर उक्त रंगहीन घोल मे डबोकर रिश्वती राशि बरामदा स्थल आरोपी श्री बन्टी मीणा के बैग मे रखे राजस्व रिकॉर्ड संबंधित कागजात के उपर से बरामद हुई है, उक्त उपरी कागज पर सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे डुबोई हुई चिन्दी से छींटे मारकर एवं उक्त चिन्दी को कागज के उपर रगड-रगडकर उक्त चिन्दी को प्लास्टिक के रंगहीन घोल मे डूबो-डूबोकर धोवन लिया गया तो प्लास्टिक गिलास के धोवन का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया तथा कागज पर भी गुलाबी रंग होना पाया गया। तत्पश्चात उक्त गहरे गुलाबी धोवन को कांच की दो साफ शीशीयों मे आधा-आधा भरवाया जाकर सील मोहर कर चेपों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शीशीयों पर क्रमशः मार्क सी-1 व सी-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त धोवन कार्यवाही मे प्रयुक्त सफेद कपडे की चिन्दी को हवा व धुप मे सुखाकर चिन्दी पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त चिन्दी को बतौर वजह सबूत एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क C अंकित किया जाकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात रिश्वती राशि बैग मे रखे जिस कागज के उपर से बरामद हुई है उक्त कागज का अवलोकन किया गया तो कागज पर टाईसुदा FORM NO. III प्रार्थी तीजों देवी पत्नी चेनाराम जाति मेघवंशी निवासी हरमू किस्म मुकदमा धारा 212 रा.का.अधि. मुकदमा नंबर 25/2026 अंकित होकर श्री सुरजभान सहायक कलेक्टर सायला के हस्ताक्षर होकर क्रमांक कोर्ट/125-26 दिनांक 09.06.26 अंकित है तथा उक्त कागज छायाप्रति होना पाया गया, उक्त दस्तावेज पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रकरण मे वांछित होने से उक्त दस्तावेज को एक सफेद लिफाफे मे डालकर लिफाफे सहित सफेद कपडे की थैली मे रखकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर थैली पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क D अंकित कर तहवील एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के काले रंग के बैग मे रखे दस्तावेजों का अवलोकन करवाया गया तो श्री बन्टी मीणा पटवारी ने उक्त बैग मे रखे अन्य दस्तावेजों मेसे परिवादी श्री तनेसिंह की माता श्रीमति पसम कंवर पत्नि जुंजारसिंह की जमीन खाता सं. 589, 410, 229 व 588 एवं परिवादी की पत्नि श्रीमति पूनम कंवर के नाम जमीन खाता सं. 410 से संबंधीत रजिस्ट्रीयों की फोटो प्रतियां जो परिवादी द्वारा उक्त दोनो भूमि का म्यूटेशन दर्ज करने हेतु देना बताया एवं उक्त दस्तावेज पेश किये जिस पर उक्त दोनो रजिस्ट्रीयों की फोटो प्रतियों पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रकरण मे वांछित होने से तहवील एसीबी लिये गये। उक्त दस्तावेजात की फोटो प्रतियां करवाकर परिवादी के कार्य (म्यूटेशन दर्ज) हेतु उप तहसीलदार जीवाणा को पृथक से सुपुर्द की जावेगी। तत्पश्चात रिश्वती राशि आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के काले रंग के बगे मे रखे दस्तावेजों के उपर से बरामदी हुई है जिससे उक्त बैग को बतौर वजह सबूत तहवील एसीबी लिया जाना आवश्यक होने से उक्त बैग का अवलोकन किया गया तो उक्त बैग सिलाई किया हुआ कपडे का स्टीकर जिस पर FORMFUNCTIONALITY BY GEAR AUTHENTIC QUALITY CRAFTED IN THEGEARDESIGNSTUDIO अंकित किया हुआ है, उक्त बैग को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर किया जाकर मार्क B अंकित किया गया। तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री तनेसिंह व आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के मध्य आज दिनांक 10.06.2026 को दौराने रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त वॉयस रिकार्डर को ऑन कर रिवर्स कर सुना गया तो वक्त लेन-देन परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन संबंधित वार्तालाप रिकार्ड होना पाया गया जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्त बरामदा कार्यवाही के दौरान धोवन के उपयोग मे लिये गये प्लास्टिक के पारदर्शी समस्त गिलासों को जलाकर नष्ट करवाया गया। उपरोक्त रिश्वती राशि बरामदगी की कार्यवाही के दौरान कब्जा एसीबी लिये गये समस्त मालखाना आईट्म जो उक्त फर्द बरामदगी मे अंकित है को मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक

पुलिस को सुरक्षार्थ सुपुर्द किये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी को परिवादी श्री तनेसिंह से दिनांक 09.06.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 2,000/- रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने के बारे में पुछा गया तो आरोपी ने उक्त राशि के बारे में कुछ नहीं बताते हुए निरुत्तर रहा। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के पास मिला उसका मोबाईल फोन आरोपी के बताये अनुसार उसके सहकर्मी श्री मोहनलाल रीडर उप तहसीलदार जीवाणा को दुरस्त हालात में सुपुर्द किया गया। आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी का सेवा विवरण पत्रांक स्पेशल-1 तारीख इमरोजा द्वारा तहसील कार्यालय सायला से चाहा गया तो जो तहसीलदार सायला के पत्रांक 458 दिनांक 10.06.2026 के द्वारा मन् एएसपी के वाट्सअप नंबर पर प्राप्त हुआ जिसका प्रिन्ट आउट लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समयः- 06.15 पी.एम.पर मन् एएसपी द्वारा परिवादी श्री तनेसिंह की निशादेही से गवाह श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार के रुबरु घटनास्थल उप तहसील कार्यालय जीवाणा का बारीकी से निरीक्षण किया जाकर नजरी नक्शा मौका घटनास्थल व हालात मौका तैयार किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका शामिल पत्रावली किया गया एवं उप तहसील जीवाणा के संस्थापन शाखा कक्ष की खाना तलाशी रुबरु स्वतंत्र गवाहान व आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी की उपस्थिति में ली जाकर फर्द खाना तलाशी पृथक से मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान उप तहसील कार्यालय जीवाणा के संस्थापन शाखा कक्ष में रखा समस्त रिकॉर्ड यथा-स्थिति में श्री माधुराम चौधरी उप तहसीलदार जीवाणा को संभलाया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही उप तहसील कार्यालय जीवाणा के किसी भी सामान/दस्तावेज/वस्तु इत्यादि को नुकसान नहीं पहूंचाया गया। ताबाद समयः- 07.10 पी.एम.पर मन् मांगीलाल राठौड़ एएसपी मय प्रकरण की पत्रावली व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय दस्तयाब सुदा आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी एवं स्वतंत्र गवाह श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार मय श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232, श्री बबन मिश्रा कानि. 110 मय विडियो कैमरा के जरिए निजी वाहन आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के सायला स्थित किराये के मकान की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ तथा शेष जाब्ता श्री रविन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक मय फर्दात के मुताबिक समस्त मालखाना आईटम तथा ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर मय कार्यवाही हेतु प्रयुक्त आवश्यक सामग्री बमय परिवादी श्री तनेसिंह, श्री कालूराम कानि. 477, श्री करणीदान कानि. 236 निजी वाहन के एवं श्री मोहनलाल हैड.कानि. 93, श्री आदूराम कानि. 142 जरिए निजी वाहन के ब्यूरो कार्यालय जालोर पहूंचने की आवश्यक हिदायत दी जाकर रवाना किया जाकर समयः- 07.45 पी.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़ एएसपी मय प्रकरण की पत्रावली व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय दस्तयाब सुदा आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी एवं स्वतंत्र गवाह श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार मय श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232, श्री बबन मिश्रा कानि. 110 मय विडियो कैमरा के जरिए निजी वाहन के आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के सायला स्थित किराये के मकान पर पहूंच आरोपी के किराये के मकान की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये, दौराने खाना तलाशी आरोपी के किराये के मकान से कोई संदिग्ध राशि/वस्तु/दस्तावेज नहीं मिले तथा ना ही कब्जा एसीबी लिये गये एवं खाना तलाशी के दौरान सरकारी विडियो कैमरे से बबन मिश्रा कानि. से विडियोग्राफी करवाई गई। बाद खाना तलाशी मय जाब्ता/हमरायान मय पत्रावली व दस्तयाब सुदा आरोपी के सायला से ब्यूरो कार्यालय जालोर की तरफ रवाना होकर समय 09.15 पी.एम.पर मन् मांगीलाल राठौड़ एएसपी मय प्रकरण की पत्रावली व डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मय दस्तयाब सुदा आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी एवं स्वतंत्र गवाह श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार मय श्री सुरेन्द्र सीगड़ कानि. नं. 232, श्री बबन मिश्रा कानि. 110 मय विडियो कैमरा के जरिए निजी वाहन के ब्यूरो कार्यालय जालोर पहूंचा जहां पूर्व में हिदायत अनुसार समस्त जाब्ता मय मालखाना आईट्मस मय आवश्यक सामग्री के उपस्थित कार्यालय मिला। दस्तयाब आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी की निगरानी हेतु श्री भरतसिंह कानि.चालक 501 व श्री कालूराम कानि. 477 को सुपुर्द किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व व रिश्वत राशि मांग सत्यापन तथा रिश्वत राशि लेन-देन वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मूर्तिब करने का निर्णय लिया जाकर समय 09.20 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री तनेसिंह के दिनांक 09.06.2026 को परिवादी श्री तनेसिंह व आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व रुबरु हुई वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मैमोरी कार्ड सहित कम्प्यूटर से कनेक्ट कर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर एवं सुनाकर श्री कालूराम कानि. नं. 477 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन पूर्व रुबरु वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई। तत्पश्चात समय 10.00 पी.एम.पर रुबरु स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री तनेसिंह के दिनांक 09.06.2026 को परिवादी श्री तनेसिंह व आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित कम्प्यूटर से कनेक्ट है, उक्त मैमोरी कार्ड

मे रिकार्ड वार्तालाप को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुनकर एवं सुनाकर श्री कालूराम कानि. नं. 477 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई । आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी द्वारा की गई । कम्प्यूटर से कनेक्ट उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर जिसमे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन से पूर्व रुबरु वार्तालाप एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 09.06.2026 की दो डब/क्लोन डीवीडी तैयार की जाकर एक आई.ओ. एवं एक आरोपी के लिए खुली हालात में रखी गई । ताबाद समयः- 11.15 पी.एम.पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री तनेसिंह के दिनांक 09.06.2026 को परिवादी श्री तनेसिंह व आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व रुबरु वार्तालाप एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप को कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे एक ही मैमोरी कार्ड में पृथक-पृथक रिकार्ड करवाई गई है । उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित कम्प्यूटर से कनेक्ट है जिसमे रिकार्डर रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व रुबरु की कम्प्यूटर के माध्यम से हैश वैल्यू निकाली गई जो निम्न हैः-
738dfbae3af659f6cd46f6961a06d688557c53484dfb470cf1a072b84e6eb70c, File Name
250609_1330.mp3 तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप की हैश वैल्यू निकाली गई जो निम्न हैः-
c7988f3d594933e6efeb20a30c54e782c4e5b09a978383b66599d2e506d30a5d File Name
250609_1647_01.mp3 उपरोक्त का एल्गोरिथम SHA256 है । तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मैमोरी कार्ड सहित कम्प्यूटर से डिसकनेक्ट कर उसमे लगे मैमोरी कार्ड को रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के डिजीटल वॉयस रिकार्डर से सुरक्षित निकालकर अवलोकन किया तो उक्त मैमोरी कार्ड पर RAJ-M6 JUN-26 8 GB लिखा हुआ पाया गया, उक्त मैमोरी कार्ड को एक प्लास्टिक के छोटे कवर में रखकर एक सफेद रंग के लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील मोहर किया गया । थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर मार्क M अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर तहवील एसीबी लिया गया तथा फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात दिनांकः- 10.06.2026 को समयः- 11.45 पी.एम. पर मन् मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री बन्टी मीना पुत्र श्री जयनारायण मीना जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी ग्राम पोस्ट रुधंपुरा तहसील मासलपुर पुलिस थाना मासलपुर जिला करोली हाल पटवारी एलआर शाखा तहसील कार्यालय सायला, अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर मोबाईल नंबर के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी श्री बन्टी मीणा को उसके संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत करवाया जाकर हस्व कायदा अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 38(ग) एवं 48 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विहान कुमार बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य 2025 आई.एन.एस.सी. 162 के निर्देशानुसार के जरिये फर्द गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके भाई श्री लवकुश को दी जाकर फर्द गिरफ्तारी प्रारुप पृथक से मूर्तिब कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया । तत्पश्चात दिनांकः- 11.06.2026 को समयः- 12.20 ए.एम.पर गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री बन्टी मीना पुत्र श्री जयनारायण मीना जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी ग्राम पोस्ट रुधंपुरा तहसील मासलपुर पुलिस थाना मासलपुर जिला करोली हाल पटवारी एलआर शाखा तहसील कार्यालय सायला, अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर ब्यूरो कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नहीं होने से पुलिस थाना कोतवाली जालोर की हवालात में सुरक्षित जमा करवाने हेतु श्री कालूराम कानि. नं. 477 व श्री भरतसिंह कानि.चालक 501 के हमरा आवश्यक हिदायत कर राजकीय चिकित्सालय/पुलिस थाना कोतवाली जालोर को रवाना किया गया था जो समयः- 01.05 ए.एम. पर आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली जालोर में जमा करवाकर हाजिर कार्यालय आये तथा आरोपी की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट व जमा हवालात रोज.आम नकल रपट पेश की जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई । ताबाद समयः- 01.10 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री जवानाराम व श्री अशोक कुमार एवं बमौजूदगी परिवादी श्री तनेसिंह के दिनांक 10.06.2026 को परिवादी श्री तनेसिंह व आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप जो कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्ड को कम्प्यूटर के माध्यम से कनेक्ट कर उसमे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप को सुनकर एवं सुनाकर श्री कालूराम कानि. नं. 477 के सहयोग से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप पृथक से मूर्तिब कर संबंधीतगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया । उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप की दो डब/क्लोन डीवीडी तैयार की जाकर एक आई.ओ. एवं एक आरोपी के लिए खुली हालात में रखी गई । आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी से करवाई जाकर रुबरु स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी एवं परिवादी तनेसिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन रुबरु वार्तालाप दिनांक 10.06.2026 को कार्यालय हाजा के डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे एक मैमोरी कार्ड में रिकार्ड करवाई

गई थी उक्त मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकार्डर से निकालकर अवलोकन किया तो उक्त मैमोरी कार्ड पर RAJ-M6 JUN-26, 8 GB लिखा हुआ पाया गया, जिसकी हैश वैल्यू निकालकर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड में अंकित की गई जिसका फाईल नाम 250610_1416.mp3 एवं हैश वेल्यू 49909fcb94a98d9334b921b7fae767f55c3b5eea20302053f99e6bfa 7e37d475 व उक्त फाईल का एल्गोरिथम SHA256 है। उक्त मैमोरी कार्ड को मैमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखा जाकर मैमोडी कार्ड कवर को एक सफेद लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर उस पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क " M1" अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर तहवील एसीबी लिया गया तथा फर्द जब्ती मूल मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समयः- 03.00 ए.एम.पर उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री बबन मिश्रा कानि. 110 द्वारा राजकीय विडियो कैमरे में मैमोरी कार्ड इन्सट्राल कर करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड स्वतंत्र गवाहान के रुबरु विडियो कैमरे से बाहर निकलवाया जाकर श्री करणीदान कानि. नं. 236 के सहयोग से कार्यालय हाजा के कम्प्यूटर के माध्यम से मूल मेमोरी कार्ड में रिकार्ड सुदा रिकार्डिंग की हैश वेल्यू निकलवाई जाकर रिकार्डिंग की दो पेन-ड्राईव कोर्ट/आई. ओ.कॉपी तैयार करवाई जाकर खुली हालात में रखी गई तथा मूल मेमोरी कार्ड को रुबरु स्वतंत्र गवाहान के जरिये फर्द जब्ती जब्त कर मैमोरी कार्ड कवर में सुरक्षित रखा जाकर मैमोरी कार्ड कवर को एक सफेद लिफाफे में डालकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर उस पर प्रकरण का विवरण अंकित किया जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क V अंकित किया जाकर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांकः- 11.06.2026 को समयः- 07.30 ए.एम.पर उपरोक्त संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही में फर्दात के मुताबिक जब्त सुदा मालखाना आईटम्स क्रमशः धोवन की शीशीयां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, सी-1 व सी-2, बरामदा रिश्वती राशि सफेद कपडे की थैली में सील मोहर मार्क M , धोवन कार्यवाही मे प्रयुक्त सफेद कपडे की चिन्दी एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर मार्क C, रिश्वती राशि बरामद स्थल एक दस्तावेज सफेद कपडे की थैली में सील मोहर मार्क D, रिश्वती राशि आरोपी के जिस बैग में कागज पर बरामद हुई उक्त बैग एक सफेद कपडे की थैली में मार्क B, रिश्वत राशि मांग सत्यापन पूर्व रुबरु वार्ता व रिश्वत राशि मांग सत्यापन रुबरु वार्तालाप दिनांक 09.06.2026 का मूल मैंमोरी कार्ड मार्क " M" एवं दो डब डीवीडी खुली हालात मे व रिश्वती राशि लेन-देन रुबरु वार्ता दिनांक 10.06.2026 का मूल मैंमोरी कार्ड मार्क-" M1" व दो डब डीवीडी खुली हालात मे एवं संपूर्ण कार्यवाही के दौरान की गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड मार्क V व दो डब पेन-ड्राईव खुली हालात में, उपरोक्त समस्त मालखाना आईटम मालखाना प्रभारी श्री रविन्द्र कुमार स.उ.नि. को सुरक्षित हालात में सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। उपरोक्त अब तक की संपूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया परिवादी श्री तने सिंह पुत्र श्री जुंजार सिंह उम्र 36 साल निवासी सांगाणा पुलिस थाना सायला जिला जालोर के पिताजी श्री जुंजार सिंह ने अपनी कृषि भूमि खाता संख्या 410 खसरा नम्बर 17 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि मे से 0.19 हैक्टर भूमि जरिए बख्शिश परिवादी की पत्नि पूनम कवंर के नाम से रजिस्ट्री दिनांक 13.05.2026 एवं खाता संख्या 589 खसरा नंबर 143 कुल रकबा 0.27 हैक्टर सम्पूर्ण, खाता संख्या 410 खसरा नंबर 17 रकबा 2.35 हैक्टर भूमि में से 2.16 हैक्टर, खसरा नंबर 18 रकबा 0.01 हैक्टर संपूर्ण, खसरा नंबर 19 रकबा 0.10 हैक्टर संपूर्ण, खाता संख्या 229 खसरा नंबर 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 कुल खसरा 7 कुल रकबा 12.97 हैक्टर भूमि में से परिवादी के पिताजी के हिस्से की संपूर्ण ½ हिस्सा भूमि तथा खाता सं. 588 खसरा नंबर 20 कुल रकबा 3.70 हैक्टर भूमि में से परिवादी के पिताजी के हिस्से की संपूर्ण 171/370वां हिस्सा भूमि जरिए बख्शीसनामा परिवादी की माताजी श्रीमति पसम कंवर के नाम रजिस्ट्री दिनांक 14.05.2026 को पंजीयक एवं उप तहसीलदार कार्यालय जीवाणा में करवाई थी। उपरोक्त कृषि भूमि की दोनो रजिस्ट्रीयों का म्यूटेशन भरवाने के लिये परिवादी श्री तनेसिंह दिनांक 21.05.2026 को गांव सांगाणा के पटवार हल्का पटवारी श्री बन्टी मीणा से मिला व प्रार्थना पत्र व दोनो रजिस्ट्रीयों की प्रतियां पटवारी को दी। लेकिन पटवारी श्री बन्टी मीणा द्वारा परिवादी से उपरोक्त भूमि का म्यूटेशन भरने की एवज में 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग की गई जिस पर परिवादी श्री तनेसिंह ने ब्यूरो मुख्यालय की हेल्पलाईन 1064 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई जाने पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो कार्यालय जालोर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर ब्यूरो कार्यालय जालोर द्वारा परिवादी से संपर्क कर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी द्वारा दौराने मांग सत्यापन परिवादी से 6,000/- रुपये रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होकर 2,000/- रुपये परिवादी से दौराने मांग सत्यापन प्राप्त किये गये। तत्पश्चात रुबरु स्वतंत्र गवाहान ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करने पर आरोपी श्री बन्टी मीणा पटवारी द्वारा परिवादी से उसके जायज कार्य को करने की एवज में अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध रुप से पूर्व में तय अनुसार शेष रिश्वती राशि 4,000/- परिवादी से प्राप्त करने पर अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा-संशोधन 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर रंगेहाथों हस्व कायदा जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री बन्टी मीणा पुत्र श्री जयनारायण मीणा जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी ग्राम पोस्ट रुधंपुरा तहसील मासलपुर पुलिस थाना मासलपुर जिला करोली, हाल पटवारी एलआर शाखा

तहसील कार्यालय सायला, अतिरिक्त चार्ज पटवारी, पटवार हल्का सांगाणा, तहसील सायला, जिला जालोर के विरुद्ध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है । अतः उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रीम अनुसंधान के आदेश फरमावें । भवदीय एसडी (मांगीलाल राठौड़) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर ।......कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री बन्टी मीना पुत्र श्री जयनारायण मीना जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी ग्राम पोस्ट रुधंपुरा तहसील मासलपुर पुलिस थाना मासलपुर जिला करोली हाल पटवारी एलआर शाखा तहसील कार्यालय सायला, अतिरिक्त चार्ज पटवारी पटवार हल्का सांगाणा तहसील सायला जिला जालोर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री कैलाश दान जुगतावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 190 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 961-64 दिनांक 11.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- जिला कलक्टर, जालोर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KAILASH DAN JUGTAWAT **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/06/2026 14:28:08

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	2001				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)